न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 1/2018

बउनवान

1. ग्राम पंचायत दांता पंचायत समिति शाहाबाद जिला बारां जर्ये सरपंच, ग्राम पंचायत दांता
2. सचिव ग्राम पंचायत दांता पंचायत समिति शाहाबाद जिला बारां

(निगराकार)

बनाम

दुलीचन्द पुत्र गजानंद उर्फ पूरबचन्द जाति महाजन निवासी केलवाड़ा तहसील शाहाबाद जिला बारां, राज0 (गैरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (निगराकार)

2. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक (गैर निगराकार)

निर्णय दिनांक 27.09.2023

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 इस आशय की पेश की कि ग्राम दांता पूर्व ग्राम पंचायत केलवाड़ा तहसील शाहाबाद जिला बारां में एक भूखण्ड सीताबाड़ी रोड के पूर्व दिशा में 40X100 फुट माप का विवादित भूखण्ड के नाम से सम्बोधित है। विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 02.11.1981 को अप्रार्थी से विक्रय मूल्य 51 रू. लेकर भूखण्ड का पट्टा जारी करना अप्रार्थी ने जाहिर किया है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 26.09.2017 को प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त फर्जी एवं कूटरचित पट्टे के आधार पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शाहाबाद में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद बेदखल नहीं करने एवं उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पेश किया। उक्त विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत दांता के स्वामित्व का ना होकर मेलाग्राउण्ड सेटअपार्ट सरकारी भूमि का भाग है एवं सरकारी मिल्कियती भूमि का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई हक नही है। ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा कोई पट्टा अप्रार्थी को जारी नहीं किया है उक्त पट्टा फर्जी कूटरचित व बनावटी दस्तावेज है। अप्रार्थी ने षड़यन्त्र पूर्वक अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त कूटरचित पट्टा दिनांक 02.11.1981 तैयार किया गया है जो प्रभावशून्य एवं निरस्तनीय है। अतः शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड व गैरनिगराकारान को तलब किया गया [illegible] से पट्टे संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:56 IST
Reason: SelfAttested

गैर निगराकार जर्ये [illegible] पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अभिभाषक गैर निगराकार द्वारा [illegible] नही किया तथा दिनांक [illegible]8.2023 को No- Instruction Pleade अंकित किया। उक्त तिथि को गैर निगराकार स्वं[illegible]स्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नही हुआ। हमने प्रकरण में एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा कोई पट्टा अप्रार्थी को जारी नहीं किया है उक्त पट्टा फर्जी कूटरचित व बनावटी दस्तावेज है। अप्रार्थी ने षड़यन्त्र पूर्वक अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त कूटरचित पट्टा दिनांक 02.11.1981 तैयार किया है। अतः उक्त पट्टा निरस्त फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार पर मनन किया, सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निगराकारान स्वंय ने प्रस्तुत निगरानी में पट्टा कीमतन जारी होना स्वीकार किया है तथा ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा जारी पट्टे की छायाप्रति के साथ जमाशुदा रसीद की छायाप्रति भी पेश की है। चूंकि आबादी भूमि में गैर निगराकार को नियमानुसार भूमि का पट्टा कीमतन जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना पाई जाती है।

अतः निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.31 13:09:56 IST
Reason: SelfAttested